उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम बनेगा जनअभियान

अंतरविभागीय समन्वय बैठक में कलेक्टर ने की सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 29 जून। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम को जिले में जनअभियान के रूप में संचालित करें। जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ऐसे सभी 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को चिन्हित किया जाए, जो किसी कारणवश औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं। उन सभी को सरकार की मंशा के अनुरूप नव साक्षरता कार्यक्रम के तहत शिक्षा मित्रों के माध्यम से साक्षर किया जाए। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने अंतरविभागीय समन्वय बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए। ई-टोकन से खाद वितरण, निर्माण श्रमिकों का पंजीयन व श्रम विभाग की योजनायें, लोक सेवा गारंटी कानून में शामिल सेवाएं, पेयजल स्त्रोतों का क्लोरीनेशन, नल-जल योजनाओं की विद्युत आपूर्ति सुचारू करना, सीएम हैल्पलाइन एवं केपीआई (के परफोर्मेंस इंडीकेटर) में शामिल प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा भी बैठक में की गई।

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने नगर निगम सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे नागरिकों की समग्र आईडी सहित सूची प्रतिदिन अद्यतन करें। साथ ही चिन्हित लोगों को निकटवर्ती विद्यालयों में पंजीकृत कराया जाए। विद्यार्थी, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जन अभियान परिषद, स्वयंसेवी शिक्षक एवं सेवाभावी नागरिकों को साक्षरता मित्र (अक्षर साथी) बनाकर प्रत्येक को पाँच-पाँच लोगों को साक्षर करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। बैठक में बताया गया कि मोबाइल एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति शिक्षा मित्र बन सकता है। सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में अपर कलेक्टर श्री कुमार सत्यम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सोजान सिंह रावत, एडीएम श्री सी बी प्रसाद व अपर कलेक्टर श्री अनिल बनवारिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

पेयजल स्त्रोतों का क्लोरीनेशन एवं नल-जल योजनाओं की विद्युत आपूर्ति रहे सुचारू : बरसात के मौसम को देखते हुए कलेक्टर ने पीएचई विभाग को हैंडपंपों एवं अन्य पेयजल स्त्रोतों का अभियान चलाकर क्लोरीनेशन कराने तथा इसकी जियो-टैग फोटो उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से कहा कि विद्युत संबंधी समस्याओं के कारण जिले की कोई भी नल-जल योजना बाधित नहीं होनी चाहिए।

सभी पात्र किसानों से ई-टोकन जनरेट कराने पर जोर

कलेक्टर ने खरीफ सीजन के लिए खाद वितरण को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से किसानों को ई-टोकन जनरेट करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को ई-टोकन के आधार पर निकटवर्ती सहकारी समिति से समय पर खाद उपलब्ध कराया जाए। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 54 हजार 370 ई-टोकन जनरेट हुए हैं, जिनके आधार पर 34 हजार 993 किसानों ने 17 हजार 903 मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त किया है। वर्तमान में जिले में 20 हजार 921 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। कलेक्टर ने डीएपी के विकल्प के रूप में एनपीके एवं एसएसपी उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। साथ ही निर्धारित सीमा से अधिक खाद लेने वाले किसानों का सत्यापन शीघ्र पूर्ण कर जियो-टैग फोटो उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समय-सीमा का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई की जाए।

उद्योगपति चरणजीत नागपाल का निधन

दुबई में आया हार्ट अटैक, उद्योग व्यापार जगत में शोक की लहर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 29 जून। ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश के उद्योग जगत को आज सोमवार सुबह बड़ा झटका लगा, जब शहर के प्रमुख उद्योगपति और मोटर साइकिल एवं ऑटोमोबाइल कारोबारी चरणजीत नागपाल का दुबई में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थे। नागपाल अपनी पत्नी के साथ व्यावसायिक कार्य से लंदन गए हुए थे और वहां से दुबई होते हुए भारत लौट रहे थे। इसी दौरान सोमवार सुबह करीब पांच बजे दुबई एयरपोर्ट पर उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनका निधन हो गया।

उनके भाई हरिओम नागपाल ने निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि चरणजीत नागपाल के बेटे दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पार्थिव शरीर ग्वालियर लाया जाएगा। परिवार में उनका बेटा और बेटी हैं। बेटा भी पारिवारिक कारोबार से जुड़ा हुआ है। चरणजीत नागपाल ने वर्ष 1990 में राजदूत मोटरसाइकिल की डीलरशिप के साथ 'प्रेम मोटर्स' की शुरुआत की थी। वर्ष 2001 में उन्होंने मारुति सुजुकी की डीलरशिप हासिल की और धीरे-धीरे अपने कारोबार का विस्तार किया।

वर्तमान में उनकी कंपनी मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में 58 से अधिक शोरूम और 43 वर्कशॉप संचालित कर रही है। ऑटोमोबाइल कारोबार के अलावा उन्होंने परिवहन क्षेत्र में भी बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। वर्ष 2011 से मारुति सुजुकी और होंडा मोटरसाइकिल के वाहनों के परिवहन के लिए 150 से अधिक ट्रेलर और ट्रकों का बेड़ा संचालित किया जा रहा है। चेंबर ऑफ कॉमर्स, कैट सहित व्यापारी संगठनों एवं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित कई लोगों ने इसे ग्वालियर के उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।

अब 90 दिन पहले होगी रेलवे पार्सल बुकिंग

ग्वालियर, 29 जून। रेलवे ने व्यापारियों और पार्सल ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए पार्सल वैन बुकिंग प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बना दिया है। नई व्यवस्था के तहत व्यापारी अब माल ढुलाई के लिए अपनी पसंदीदा तारीख से 90 दिन पहले इंडेंट (मांग) दर्ज करा सकेंगे। वैन का आवंटन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर होगा। यदि एक ही तारीख के लिए एक से अधिक आवेदन आते हैं, तो प्राथमिकता आवेदन के समय के अनुसार तय होगी।

रेलवे नियमों में बदलाव से मिली राहत, व्यापारी खुश

अधिक मांग वाले नोटिफाइड स्टेशनों पर पंजीकरण शुल्क 25,000 रुपये और अन्य स्टेशनों पर 10,000 रुपये प्रति वैन तय किया गया है। यदि रेलवे पसंदीदा तारीख के 10 दिनों के भीतर वैन उपलब्ध नहीं करा पाता है और ग्राहक बुकिंग रद्द करता है, तो पूरी पंजीकरण राशि वापस कर दी जाएगी।

रेल मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के 'लीन सीजन' के तहत कुछ श्रेणियों की माल ढुलाई पर व्यस्त मौसम शुल्क (बिजी सीजन चार्ज) हटाने की घोषणा की है। कवर वैगनों में जाने वाले सभी माल पर जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान यह शुल्क नहीं लगेगा। इसी तरह, खुले वैगनों में परिवहन की जाने वाली अधिकांश वस्तुओं पर अगस्त और सितंबर 2026 में बीएससी से छूट रहेगी।

बदमाशों ने युवक को लाठी-सरियों से पीटा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 29 जून। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत घुरैया मार्केट के पास रविवार शाम पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद के चलते पांच बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक को घेरकर लाठी, सरिया और लोहे की लुहांगी से बेरहमी से पीटा, जिससे उसके हाथ-पैर टूट गए और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, शिव कॉलोनी (पिंटों पार्क) निवासी 63 वर्षीय लोटन सिंह गुर्जर ने बताया कि उनका बेटा मंदीप गुर्जर रविवार को घुरैया मार्केट के पास किसी काम से गया था। काम निपटाकर लौटते समय, जैसे ही वह गोकुलधाम के पास पहुँचा, गाँव के ही लाखन गुर्जर, बलवीर गुर्जर और धर्मेंद्र गुर्जर ने पुरानी जमीनी विवाद को लेकर उसे रोकना शुरू कर दिया। विरोध करने पर तीनों ने लोहे की लुहांगी, लाठी और लात-घूसों से हमला कर दिया। इसी बीच उनके साथी सूरज गुर्जर और रामवीर गुर्जर भी कार से मौके पर पहुँचे और लोहे की सरियों से मंदीप पर ताबड़तोड़ वार किए हमले के दौरान मंदीप के पिता लोटन सिंह वहाँ पहुँच गए। उन्हें देखकर और युवक को अधमरा व बेहोश पाकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सूचना मिलते ही घायल को अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि चोटें इतनी गहरी हैं कि उसे स्वस्थ होने और दोबारा चलने-फिरने में कई महीने लग सकते हैं।

इनका कहना है

'एक युवक की आधा दर्जन के करीब हमलावरों ने मारपीट कर दी है। आरोपी अभी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।

यशवंत गोयल
थाना प्रभारी, महाराजपुरा

कई वार्डों में पानी संकट, लोगों ने पार्षदों को घेरा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 29 जून। वार्ड 65 में पानी की समस्या का निराकरण नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद गीता भूपेंद्र कुशवाह के समक्ष मुर्दाबाद के नारे लगाए। माहौल गर्म देख पार्षद वहां से निकल गए।

इसी प्रकार वार्ड 2 में आज फिर पानी नहीं आया। यहां के पम्प ऑपरेटर के साथ शनिवार को मारपीट हुई थी, जिसके बाद पम्प ऑपरेटर कल भी नहीं आया था। वह ड्यूटी पर आज भी नहीं आया। इतनी भीषण गर्मी में पानी नहीं आने के कारण जनता को प्यासा रहकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पार्षद को अवगत कराने के बाबजूद अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है।

कार्यालय नगर परिषद विजयपुर, जिला - श्योपुर (म.प्र.)

दूरभाष :- 07528-266529 सी.एम.ओ. मोबा.9516926870 Email-cmovijaypur@mpurban.gov.in

क्रमांक/निर्माण/2026/1007 द्वितीय — विजयपुर दिनांक : 18-6-26

// ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना //

एतद् द्वारा केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि इस निकाय द्वारा आयोजित कार्य ई-टेण्डर के माध्यम से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं इच्छुक पंजीकृत ठेकेदार अव्यवहारिक निविदाओं (20 प्रतिशत से कम होने पर) में अतिरिक्त परफोर्मेन्स सिक्योरिटी हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के आदेश क्रमांक / एफ-237/2024/18-2, 2165/2265526/24/182 दिनांक 09.09.2024 अनुसार समस्त कर आदि सहित संलग्न सूची अनुसार नियम अवधि तक अपनी दरें प्रस्तुत कर सकते है।

क्रमांक	कार्य का नाम	ऑनलाईन टेण्डर आईडी	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य की समयावधि
1.	जे.सी.बी. मशीन, चाट, ट्रेक्टर, प्रति घंटा के मान से एवं ट्रेक्टर ढोली प्रति दिन के मान से	2026_UAD_476311_2	10 लाख	7000/-	2000/-	मार्च 2027 तक

शर्ते-

1,. निविदा प्रपत्र एवं ऑफर ऑनलाईन निविदा प्रकाशन से दिनांक 06.07.2026 को सांय 17:30 बजे क्रय एवं प्रस्तुत की जा सकती है 1.

2. ऑनलाईन दिनांक 07.07.26 को 17:30 बजे खोली जावेगी।

3 कार्य के देयको से शासन नियमानुसार निर्धारित कटोत्रा किये जावेगे।

4 दरें समस्त करो सहित प्रस्तुत करनी होगी पृथक से किसी भी कर का भुगतान नहीं किया जावेगा।

5निविदा संशोधन उक्त www.mptenders.gov.in पर किया जायेगा। पृथक से कोई भी प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

6 कार्य की लागत कम या ज्यादा की जा सकती है जिसका अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

अत: संबंधित सामग्री की विस्तृत जानकारी उक्त बेबसाईट पर देखी जावे। निविदा से संबंधित अन्य जानकारी कार्यालीयन समय संबधित शाखा में देखी जा सकती है।

कमलेश कुशवाह
अध्यक्ष
नगर परिषद विजयपुर

मुख्या नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद विजयपुर
जिला-श्योपुर (म.प्र.)

कला प्रतियोगिता में प्रतिभाओं ने किया शानदार प्रदर्शन

400 से अधिक बच्चों और युवाओं ने बिखेरे कला के रंग, विजेताओं को मिला सम्मान

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 29 जून। भारतीय कलाकार संघ ग्वालियर, बेताल केन आर्ट ग्रुप एवं नगर निगम ग्वालियर के संयुक्त तत्वावधान में कला वीथिका, पड़ाव में आयोजित रंग कला 2026 पेंटिंग एवं रंगोली प्रतियोगिता में 400 से अधिक बच्चों एवं युवाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में पेंटिंग एवं रंगोली की विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि शैलेन्द्र सक्सेना (सहायक नोडल अधिकारी, नगर निगम), संजय कट्टल (अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ ग्वालियर यूथ सोसायटी), अंकुर पेंटर (राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय कलाकार संघ), पालन सर (पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय कलाकार संघ) एवं थाना प्रभारी दीप्ति तोमर उपस्थित रहीं। पेंटिंग प्रतियोगिता में मेधांश फाल्के, आस्था बाथम, सानिध्य सिंह जादौन, मनस्वी झा, ध्रुव वर्मा, आयुषी सेन, निशा कोरी, चंचल कुशवाह, स्नेहा नरवरिया, मानवी कोरी, लक्ष्मी शर्मा, मयंक सोनी, ललिता कुशवाह, काजल कौरव एवं ईशा गर्ग विजेता रहे। रंगोली प्रतियोगिता में हिमांशु माहौर, यशी जैन, मानवी पाल, पलक राजपूत, प्रथम बाथम एवं मुस्कान कुशवाह ने पुरस्कार प्राप्त किए।

वहीं सुनील जाटव, खुशी वरधिया एवं कार्तिक सोनी को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं संयोजन बेताल केन, कुलदीप राजौरिया एवं नवीन वर्मा ने किया। यशिका शिवहरे ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। आयोजन में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं टीम सदस्यों का विशेष सहयोग रहा।

जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन पर आज विशेष सभाएं

मुख्यमंत्री के संदेश का होगा वाचन, कराए गए कार्यों का होगा प्रस्तुतिकरण

ग्वालियर 29 जून। जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन दिवस 30 जून को ग्वालियर जिले में भी ग्राम सभायें आयोजित होंगीं। इस दिन जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष ग्रामसभा आयोजित कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के संदेश का वाचन किया जाएगा। साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत निष्पादित कार्यों, उपलब्धियों तथा लाभान्वित परिवारों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ज्ञात हो ग्वालियर जिले में भी सम्पूर्ण प्रदेश के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर 19 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू हुआ था। जिसका समापन 30 जून 2026 को होने जा रहा है।

ग्वालियर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान लगभग 18 हजार 466 कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है। इन कार्यों से 24 लाख 4 हजार घन मीटर से अधिक जल ग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई है। साथ ही जिले के 3 हजार 257 कृषक सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं। जिन गाँवों व कस्बों में जल संरचनाओं का निर्माण हुआ है वहां की सम्पूर्ण आबादी को जल संरक्षण व संवर्धन का लाभ मिलेगा। जिले में कराए गए कार्यों में ग्रामीण, नगरीय, वन, सिंचाई, शिक्षा, औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में जल संरक्षण, भू-जल संवर्धन, जल गुणवता परीक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नदी पुनर्जीवन तथा जन-जागरुकता से संबंधित विविध गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। अभियान के समापन दिवस पर आयोजित होने जा रही ग्राम सभाओं में जन-सहभागिता, श्रमदान एवं नवाचार के माध्यम से उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों, जलदूतों एवं सामुदायिक संगठनों का सम्मान किया जाएगा। जल संरक्षण, जल सुरक्षा, भू-जल संवर्धन तथा वर्षा जल संचयन की भावी कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी तथा ग्राम स्तर पर आगामी वर्ष के लिये कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

वीबीजी राम जी योजना पर भी होगी चर्चा : 01 जुलाई से प्रारंभ होने वाली 'विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के विभिन्न आयामों एवं संभावित लाभों के संबंध में भी ग्राम सभाओं में चर्चा होगी। साथ ही अभियान के अंतर्गत निर्मित अथवा पूर्ण हुई महत्वपूर्ण जल संरचनाओं का जनप्रतिनिधियों द्वारा लोकार्पण कराया जाएगा।

दो नायब तहसीलदार एवं दो सीएमओ को अर्थदण्ड के नोटिस

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 29 जून। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवायें उपलब्ध न कराने पर जिले के दो नायब तहसीलदारों व दो मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भारी पड़ने जा रहा है। इन अधिकारियों पर अर्थदण्ड लगाने के लिये कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। लोक सेवा गारंटी कानून में प्रत्येक सेवा में देरी पर प्रतिदिन 250 रुपए के मान से इन पर 5 हजार रुपए तक का अर्थदण्ड अधिरोपित करने का प्रावधान है।

लोक सेवा प्रबंधक श्री सूरज यादव से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर परिषद आंतरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बृजकिशोर शर्मा को 19 आवेदनों में समय-सीमा के भीतर सेवायें न प्रदान करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह नायब तहसीलदार सुपावली वृत मुन्नालाल गौड़ व नायब तहसीलदार पुरानी छावनी वृत सतेन्द्र सिंह तोमर द्वारा एक - एक आवेदन का समय-सीमा में निराकरण न किए जाने पर इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी पिछोर पियूष श्रीवास्तव को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

लापता छात्र की लोकेशन ग्वालियर में मिली

ग्वालियर, 29 जून। कक्षा आठवीं का 16 वर्षीय छात्र शिवशंकर निषाद, जो आगरा का रहने वाला है, तीन दिन पहले घर से लापता हो गया है, जिसकी लोकेशन ग्वालियर पाई गई है। पुलिस ने कहा है कि अगर किसी को यह छात्र दिखे तो नीचे दिये नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दें।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीर्कृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	128935707	संपत्ति के बदले ऋण	06-Jun-2026	11,17,029.84/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1. नारायण रजक 2. सावित्री बाई रजक

संपत्ति का पता: म्युनिसिपल हाउस नंबर 1585 का पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 30.99 वर्ग मीटर है और जो वार्ड नंबर 45, गणेश कॉलोनी, टोपे वाला मोहल्ला, नदी किनारे के पास, ग्रामः कोटा लश्कर, जिलाः ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474001 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सड़क, पश्चिमः शिवाजी राव शिंदे की प्रॉपर्टी, उत्तरः जोशी की खुली जमीन, दक्षिणः कमल की खुली जमीन।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 30.06.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

SMFG Grihashakti — एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Nayi Asha. Naya Vishwas.

कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051
पंजीकृत कार्यालय: कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

अचल संपत्ति के लिए कब्जे का नोटिस [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

चूँकि अधोहस्ताक्षरी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी [राष्ट्रीय आवास बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली) के साथ विधिवत पंजीकृत] (जिसे आगे "एसएमएचएफसी" कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित दिनांकित मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें आपसे, उधारकताओं के रूप में, (नीचे उल्लिखित नाम) उक्त सूचना में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज की राशि, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। नीचे उल्लिखित उधारकताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को, एतद्वारा उक्त संपत्ति से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन "एसएमएचएफसी" के प्रभार के अधीन होगा यहाँ उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए।

स. क्रं.	उधारकर्ता (एस)/ गारंटर (एस) का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	डिमांड नोटिस दिनांक और राशि	कब्जा की तिथि
1	लैन:- 604339512024850 1. राजपाल भभूति 2. भूरी	यह पूरी जमीन और उस पर बनी प्रॉपर्टी, जो मौजा जौरी गाँव के हिस्से में स्थित है (सर्वे नंबर 533/29, गाँव जौरी, तहसील और ज़िला मुरैना, मध्य प्रदेश), जिसका कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है। इस प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं - पूर्वः चौहान की प्रॉपर्टी; पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क; उत्तरः गुर्जर की प्रॉपर्टी; दक्षिणः श्री दौजीराम की प्रॉपर्टी।	10.03.2026 रु. 6,30,510.63 (छह लाख तीस हजार पांच सौ दस और तिरेसठ पैसे मात्र) 09.03.2026 तक	25.06.2026

स्थान: मुरैना, मध्य प्रदेश
दिनांक: 25.06.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम ग्वालियर

नामांकन विज्ञप्ति — 29Jun26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत निम्न लिखित सम्पत्तियों का मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर वसूली हेतु नामांकन प्रकरण नीचे उल्लेखित सूची अनुसार इस सम्बंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में (दोनों दिवस सम्मिलित करते हुये) लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति ग्राहय नहीं की जायेगी एवं युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

क्र.	क्षेत्र क्र./ वार्ड क्र.	नामांकन प्रकरण क्र./कार्य क्र.	सम्पत्ति का माप का विवरण वर्गफुट	वर्तमान में सम्पत्ति किस नाम से दर्ज है/विक्रेता का नाम	किस नाम से नामांकन होना है। नाम, पिता/पति का नाम	नामांकन का आधार रजिस्ट्री/उत्तराधिकार /वसीयत/बंटवारा/अन्य	पता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8/19	PT-71544	765 वर्गफुट	शिवेन्द्र सिंह/महेश सिंह	आशा उपाध्याय/दिनेश उपाध्याय	विक्रय-पत्र	समर्थ नगर
2	8/19	PT72123	1500 वर्गफुट	शिवमोहन सिंह सेंगर/ बलराम सिंह सेंगर	राणा प्रताप सिंह सेंगर/स्व.शिवमोहन सिंह सेंगर	वसीयत	विजय लक्ष्मी नगर
3	8/19	PT.72206	1050 वर्गफुट	रेखा शर्मा/विष्णुकुमार शर्मा	मुकेश झा/फूलचंद झा	विक्रय-पत्र	प्रीतम बिहार
4	24/65	89/2015/16945/17052	1500 वर्गफुट	बादामी कुशवाह/स्व.श्री भगवानदास कुशवाह	हरेश सिंह कुशवाह/ सोनपाल सिंह कुशवाह	विक्रय-पत्र	गिरवाई
5	24/65	89/2015/16877/16984	874 वर्गफुट	उमेश कुमार रजक/ सत्यप्रकाश रजक	मुकेश कुमार रजक/सत्यप्रकाश रजक	हक-त्याग	अजयपुर
6	24/65	89/2015/16950/17057	296 वर्गफुट	अनीता व्यास/हरिओम व्यास	माला